मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मास्टरों की कमी दूर करने का नायाब तरीका : स्कूलों को ही बंद करो — 3
- सरदार पटेल का आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर को लिखा खत..... — 4
- अच्छे दिन हुए पूरे, गुजरात में नहीं चलेगा मोदी का जादू — 5
- इस बार आसान नहीं एनआईटी के विधायक नागेंद्र भडाना की डगर — 8

वर्ष 31 | अंक 1 | फरीदाबाद | 16-30 नवम्बर 2017 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

फ्लैट मालिकों की हैसियत किरायेदारों सी बना रखी है बिल्डरों ने

केएलजे ग्रीन्स वासियों ने बजाया विद्रोह का बिगुल, प्रशासन उदासीन

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 77 स्थित केएलजे ग्रीन्स में रहने वाले 100 फ्लैट मालिकों ने केएलजे बिल्डर को फ़िरौती देने से इन्कार कर दिया तो उसने दिनांक 4 नवम्बर को इनकी बिजली काट दी। रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यहां के निवासी समाजसेवी वरुण श्योकंद को साथ लेकर ज़िले के तमाम आला अफ़सरों- एसडीएम, एडीसी, डीसी, डीसीपी, निगमायुक्त आदि के चक्कर काटते रहे, परन्तु कोई भी इनकी सुनने को उपलब्ध नहीं था। हर जगह एक ही जवाब मिला कि साहब बाहर गये हैं।

स्थानीय विधायक एवं मन्त्री विपुल गोयल के भी सामने न आने पर, अन्त में सेक्टर 17 स्थित कांग्रेसी विधायक ललित नागर के घर पहुंचे तो उन्होंने बिल्डर को फ़ोन तो जरूर किया लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जाहिर है बिल्डर को मालूम है कि विपक्षी विधायक के पल्ले कुछ खास करने कराने को होता नहीं। और जब कभी होगा तो मोटा चंदा देकर मना लेगा। यह सारी स्थिति तब बनी जब पीड़ितों की फ़रियाद पर पुलिस मौके पर पहुंच तो गयी थी लेकिन बिल्डर के खिलाफ़ कुछ भी कार्यवाही करके उनकी बिजली चालू कराने में असमर्थ रही।

मोदी का रेरा बिल्डरों को डराने के लिए

गौरतलब है कि पूरी सोसायटी का एक ही मीटर है जो बिल्डर के अपने नाम पर है। बाकी तमाम उपभोक्ता (निवासी) उससे बिजली खरीदते हैं। इसके लिये प्रत्येक फ्लैट में सब-मीटर लगा होता है। बिजली बेचने के इस धंधे में भी बिल्डर अच्छी-खासी कमाई करता है। सैंकड़ों घरों की अलग-अलग मीटर रीडिंग लेने व बिलिंग करने से बचने में विभाग बिल्डर को जो मोटा डिसकाऊंट देता है, उसे वह उपभोक्ताओं को न देकर खुद ही हड़प लेता है। इसके बावजूद भी तमाम निवासी उसको बिजली बिल का पूरा भुगतान करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं जिन फ्लैटों में कोई रह नहीं रहा, ताले लगे पड़े हैं उनसे भी बिल्डर 500 रुपये प्रति माह सरकारी खर्च बता कर वसूलता आ रहा है। ऐसे घरों की संख्या 250 है। यानी एक लाख 25 हजार की लूट कमाई।

इतना सब के बावजूद भी बिल्डर ने बिजली क्यों काटी? इसलिये कि 100 फ़्लैटों में रहने वाले व 250 फ्लैटों में न रहने वालों ने इस लुटेरे बिल्डर को वह मासिक फ़िरौती देने से मना कर दिया था जिसे वर्षों से मेंटेनेंन्स (देख-भाल) के नाम पर वसूलता आ रहा था। मेंटेनेंन्स में सिक्योरिटी गार्ड्स, लिफ्ट सेवा, सार्वजनिक बिजली खर्च, माली व प्लम्बर आदि का खर्च होता है। फ्लैट वासियों का कहना है कि जायज खर्च देने को वे तैयार हैं लेकिन 8 लाख खर्च के बदले वे 16 लाख यानी सीधे-सीधे 8 लाख की लूट वे नहीं होने देना चाहते। अपनी इसी लूट कमाई की वसूली के लिये दबाव बनाने, कानूनी शब्दों में कहें तो ब्लैक-मेलिंग के तौर पर बिल्डर ने बिजली काटने की कार्यवाही की थी।

यदि ज़िला प्रशासन एवं पुलिस बिल्डर के हाथों बिकी न होती तो तुरन्त बिल्डर के विरुद्ध कम से कम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बन्द करती; परन्तु थाना सदर बल्लबगढ की पुलिस ने फ्लैट निवासियों पर दबाव बना कर बिल्डर को 15-15 हज़ार के चैक दिला कर समझौता करा दिया। तब कहीं जाकर, 24 घंटे से बंद बिजली चालू हो पाई।

फ्लैटवासी इस मामले को लेकर स्थानीय न्यायालय में भी पहुंचे हैं। दिनांक 7 नवम्बर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि बिल्डर, बिजली बिल वसूली के अतिरिक्त अन्य किसी भी वसूली के लिये बिजली नहीं काट सकता। लेकिन जो बिजली वह काट चुका था उसके लिये कोर्ट ने न तो बिल्डर को कोई सज़ा दी और न ही पीड़ितों को कोई मुआवज़ा। एक धारावाहिक नाटक की भांति बरसों कोर्ट का यह तमाशा चलता रहेगा।

खट्टर के रहते डरने की जरूरत नहीं

'रेरा' के बावजूद लूट के और हथकंडे हैं बिल्डरों के पास

एक मेंटेनेन्स या बिजली ही नहीं और भी अनेकों तरह से लूट मचा रखी है केएलजे बिल्डर ने। यही एक क्या लगभग सभी बिल्डर, 50 लाख से 2 करोड़ तक के फ्लैट बेच चुकने के बावजूद भी फ्लैट मालिकों को बंधक बना कर बुरी तरह से लूटने में जुटे हैं। बिजली तो केवल एक हथियार है जिसे काट कर, ये लोग, फ्लैटवासियों के संघर्ष को तोड़ने के लिये इस्तेमाल करते हैं।

केएलजे ग्रीन्स निवासियों की एसोसिएशन के एक प्रवक्ता पवन गुलाटी ने बताया कि लिफ्ट के नाम पर करोड़ों वसूल चुके इस बिल्डर द्वारा लगाई गयी तमाम लिफ़्टें निहायत ही घटिया क्वालिटी की हैं। आये दिन लोग इनमें जान का जोखिम लेकर सवार होने को मजबूर हैं जो अक्सर इनमें फ़ंस कर रह जाते हैं। शिकायत मिलने पर लिफ़्ट इन्सपेक्टर ने मौका मुआयना करके बिल्डर को कड़ा नोटिस दिया है। यदि समय रहते बिल्डर ने समुचित कार्यवाही नहीं की तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। अब देखना यह है कि इन्सपेक्टर साहब वास्तव में ही कोई कार्यवाही करते भी हैं या कोरी धमकी देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

सरकार से लाइसेंस लेने की शर्त पूरी करते हुए बिल्डर ने एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगा तो जरूर दिया परन्तु बिल्कुल नकली, यानी वह किसी काम का नहीं। इतना ही नहीं इस एसटीपी का गंदा-सड़ा हुआ पानी शौचालय व बागबानी आदि में जाने की बजाय अनेकों बार पेयजल के रूप में रसोई घर तक भी पहुंच जाता है, जिसकी बिल्डर को कोई परवाह नहीं। शुद्ध पेयजल का भूमिगत टैंक सोसायटी की सड़क के नीचे बना कर उसे सीवर वाले ढक्कनों से ऐसे ढका गया है कि तमाम बाहरी धूल-मिट्टी व कचड़े के साथ बरसाती पानी भी बह कर इसमें आ मिलता है। अनेकों बार शिकायतें करने के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों कायम है।

मेंटेनेंस के नाम पर 16 लाख मासिक की वसूली करने के बावजूद, खर्चे में दिखाये गये सुरक्षा गार्डों की संख्या कभी पूरी नहीं होती। औसतन 30 प्रतिशत गार्ड कम रखे जाते हैं ताकि खर्च बचाया जा सके।

यद्यपि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बिल्डर के लिये कम्युनिटी सेंटर बनाकर फ्लैटवासियों को देना जरूरी है; उसके बावजूद इस डकैत ने फ्लैटवासियों से साढे सात करोड़ अलग से वसूले हैं, इतना ही नहीं इसके बावजूद कम्युनिटी सेंटर को निवासियों के हवाले करने की बजाय उसे अपने ही कब्जे में रख कर उसे क्लब का

शेष पेज दो पर

विधायक सीमा त्रिखा के संरक्षण में अवैध कब्ज़े व निर्माण, पार्षद व जनता परेशान

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकारी एवं राजनैतिक संरक्षण के बिना अवैध कब्ज़े व निर्माण कतई संभव नहीं। '**मज़दूर मोर्चा**' इस कटु सच्चाई को बरसों से दोहरा रहा है। इसकी ताज़ा-तरीन बानगी आजकल एनआईटी के एनएच-5 नम्बर में सार्वजनिक रूप से देखी जा रही है। मजे की बात तो यह है कि जिन अवैध कब्ज़ों व निर्माणों का विरोध, जनहित में पार्षद जसवंत सिंह कर रहे हैं, उन्हीं का संरक्षण विधायक सीमा त्रिखा खुल कर व पूरी बेशर्मी से कर रही हैं; जाहिर है अपने निजी हित साधने के लिये।

इसी क्षेत्र के बांके बिहारी मंदिर वाली सड़क पर कब्ज़ा जमाये बैठे कबाड़ी दर्शन सिंह व दीया सिंह के विरुद्ध पार्षद जसवंत सिंह ने नगर निगम में शिकायत की तो इन दोनों ने तुरन्त विधायक सीमा को फ़ोन लगाया। जवाबी कार्यवाही के तौर पर तुरंत सीमा ने जसवंत को फ़ोन कर झाड़ा कि वह उसके समर्थकों को परेशान न करे। विधायक ने यह भी कहा कि वह भी तो पार्षद रह चुकी हैं उन्होंने तो कभी किसी के कब्जे व निर्माण नहीं तुड़वाये।

वास्तव में उक्त कब्ज़ों की वजह से नाले की सफ़ाई में दिक्कत आ रही थी और सफ़ाई न होने से वहां के निवासी परेशान थे। इसलिये पार्षद व्यापक जनहित में नाले की सफ़ाई कराना चाहते थे जिसे विधायक ने अपने निजी स्वार्थ के चलते रूकवा दिया। जहां तक सवाल 'समर्थकों' का है तो कल तक (विधानसभा चुनाव के समय) जसवंत सिंह समेत अधिकांश क्षेत्रवासी सीमा के समर्थक थे। सीमा कोई इन दो कबाड़ियों के समर्थन मात्र से विधायक नहीं बन गयी। उनकी यह गलतफ़हमी अगले चुनाव में अवश्य दूर कर दी जायेगी। जिसके समर्थक इस तरह के कबाड़ी व तनेंद्र टंडन जैसे हों तो उसे उखाड़ने हेतु विरोधियों की जरूरत ही कहां रह जाती है। पार्षद जसवंत सिंह को परेशान मात्र करने के उद्देश्य से क्षेत्र के नामी स्कूल सेंट जोसेफ़ के सामने हफ़्तों तक गंदगी का ढेर सड़ाया गया। विधायक के स्पष्ट निर्देश के चलते निगम अधिकारी पार्षद की, लगातार शिकायतों को अनसुना करते रहे। मकसद केवल पार्षद को नीचा दिखा कर यह सिद्ध करना था कि क्षेत्र का पार्षद कुछ भी नहीं है जो कुछ है वह विधायक ही है।

इसी बात को और पुख्ता करते हुए सेंट जोसेफ़ स्कूल वाली 30 फुटी इसी सड़क को विधायक ने घटवा कर 22 फुटी करा दिया है। विदित है कि इसी सड़क पर दो अन्य बड़े सरकारी स्कूल होने के अलावा घना आबाद व्यापारिक व रिहायशी इलाका भी है। गत सप्ताह इसी सड़क के तथाकथित उद्घाटन के अवसर पर विधायक व पार्षद के समर्थक एक दूसरे के आमने-सामने डटे हुए थे।

जानकार बताते हैं कि अगले सप्ताह जसवंत सिंह मुख्यमंत्री खट्टर से सीमा की शिकायत करेंगे। लेकिन जसवंत सिंह को यह समझ लेना चाहिये कि मुख्यमंत्री को विधायकों की जरूरत होती है न कि पार्षदों की। इसलिये उन्हें खट्टर से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिये। दूसरे, उन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है न कि खट्टर व सीमा ने। पार्षद होने के नाते वे केवल अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं न कि मुख्यमंत्री या विधायक के प्रति। यदि कोई विधायक या सरकार जनहित में अड़चने पैदा करते हैं तो पार्षद को अपनी जनता लामबंद करके संघर्ष में उतारनी चाहिये।